an>

Title: Need to provide additional funds for the development of new village panchayats in Rajasthan.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : महोदया, मैं राजस्थान राज्य से आता हूँ, जो कि पंचायती राज़ व्यवस्था के लिए अग्रणी माना जाता है। मैं आपका ध्यान राजस्थान पंचायतों के पुनर्गठन के बाद नई बनी ग्राम पंचायतों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि सभी ग्राम पंचायतों में बजट की कमी के कारण मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। राजस्थान प्रदेश में 723 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। ग्राम पंचायतों में अटल सेवा के अंदर सभी मूलभूत सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रति ग्राम पंचायत 50 लाख रूपये की धनराशि अनुमानित की गई हैं। नई ग्राम पंचायतों के लिए 361 करोड़ रूपये की धनराशि की आवश्यकता है, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को राजस्थान सरकार द्वारा भेजा जा चुका है। पहले पंचायतें लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी हुआ करती थी। अब संविधान संशोधन के बाद उसको इंस्टिट्यूशन ऑफ सैल्फ गवर्मेंट का संवैधानिक दर्जा दिया गया है। उसके अधिकार भी कंस्टिट्यूशन के 11वें शिडयुल में दिए गए हैं। पंचायतें एक इंस्टिट्यूशन ऑफ सैल्फ गवर्मेंट की तरह काम करें, इसलिए मेरा सदन के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी से अनुरोध है कि राजस्थान प्रदेश की ग्राम पंचायत व्यवस्था को विशेषकर नई पंचायतों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजस्थान सरकार को 361 करोड़ रूपये की धनराशि की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम. पटेल एवं श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री पी.पी.चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।